

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम छगन कुमार अन्तर्गत धारा 6 ए  
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 456/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/588

प्रार्थी :

बनाम

अप्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली

छगन कुमार पुत्र बाबुलाल निवासी  
कुम्हारो का चौराहा, देसूरी (हाल  
प्रोपराईटर)  
फर्म मैसर्स स्पाईसी बाईट, महाराणा  
प्रताप चौराहा, देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

—:निर्णय:—

दिनांक: 15.04.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म फर्म मैसर्स स्पाईसी बाईट, महाराणा प्रताप चौराहा, देसूरी वक्त निरीक्षण दिनांक 15.10.2024 को पेश कर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को नियमानुसार राज्यसात करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग व घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी भ्रमण दौरान महाराणा प्रताप चौराहा, देसूरी स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स स्पाईसी बाईट पर पहुंचे। मौके पर छगन कुमार पुत्र बाबुलाल उपस्थित मिले, जिन्होंने खुर्द को प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रुबरु मौतबिरान कल्पेश कुमार पुत्र बाबुलाल निवासी कुम्हारो का चौराहा, देसूरी हाल कार्यकर्ता स्पाईसी बाईट देसूरी की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) एचपी कम्पनी के पाये गये। मौके पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर से जुडी भट्टी पर घरेलु व्यंजन बनाये जा रहे थे तथा एक घरेलु गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान के अंदर रखा हुआ पाया गया। मौके पर आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। तथा उक्त संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण, रिफिलिंग एवं बिक्री किये जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस पाली के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

वजन कि.ग्रा. में

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.900	15.900	0.000	0509473

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम छगन कुमार अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	23.200	15.700	7.500	217751
---	--------------------	------	--------	--------	--------	-------	--------

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध संग्रहण किये जाने के फलस्वरूप मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) एचपी कम्पनी मय छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगुलेटर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु राहुल कुमार पुत्र रतनलाल निवासी आकाशगंगा कॉलोनी सादडी हाल प्रतिनिधि मैसर्स मंगला इण्डेन गैस देसूरी को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया उपरोक्त कार्यवाही की नौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये। इस छगन कुमार द्वारा गैस सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.200) एचपी कम्पनी मय एक छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगुलेटर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी छगन कुमार की एक फर्म मैसर्स स्पाईसी बाईट के नाम से महाराणा प्रताप चौराहा देसूरी पर स्थित है जिसके ही अप्रार्थी व इसके गरीब परिवार की आजीविका चलती है अप्रार्थी का प्रतिष्ठान अप्रार्थी के घर के नजदीक होने के कारण गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर दिनांक 27.09.2024 को जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर रखे हुए थे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही में नरम रुख रखते हुए की कार्यवाही ड्रॉप फरमावे।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा नरम रुख रखते हुए अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को ड्रॉप करावे। एवं जब्तशुदा घरेलु सिलेण्डर एवं भट्टी मय रेगुलेटर लौटाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अध्ययन-अवलोकन तथा बहस में उठाए गए तथ्यों पर मनन उपरान्त न्यायालय का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा **Liquitied Petroleum Gas ( Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000** के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कुल संख्या 02, तथा भट्टी मय रेगुलेटर जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णनानुसार घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) एचपी कम्पनी मय छोटी भट्टी मय ट्यूब नली रेगुलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा **Liquitied Petroleum Gas ( Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000** के उपबन्धों की अवहेलना के कारण राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि जब्तशुदा उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम छगन कुमार अन्तर्गत धारा 6 ए  
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों  
के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया  
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

—/—/—

(शैलेन्द्र सिंह)

R.A.S

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
पाली, जिलापाली

दिनांक : 15/04/25

क्रमांक/रसद वि.प्र.स./456/2024/2025/481-483  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, पाली
3. छगन कुमार पुत्र बाबुलाल निवासी कुम्हारो का चौराहा देसूरी

—/—/—

(शैलेन्द्र सिंह)

R.A.S

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
पाली, जिलापाली